क्रम-संख्या–50

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 10 मार्च, 2021

फाल्गुन 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 452 / 79-वि-1–21-1-क-14-21
लखनऊ, 10 मार्च, 2021

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे आबकारी अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 10 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 3 का उपबन्ध, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा और शेष उपबन्ध, दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 8 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

किसी चीनी कारखाना का अध्यासी, अपने द्वारा अंतरित किये गये, विक्रय किये गये या आपूर्ति किये गये शीरे पर ऐसी दर, जैसा कि राज्य सरकार समय—समय पर अवधारित करे, पर प्रशासनिक प्रभार का विहित रीति से राज्य सरकार को भुगतान करने के लिये दायी होगा।

धारा 16 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द "नियंत्रक" के स्थान पर शब्द "नियंत्रक या अन्य कोई अधिकारी, जो विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो," रख दिये जायेंगे।

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के नियंत्रण, भण्डारण, श्रेणीकरण तथा कीमत, और उसकी आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियम किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि किसी चीनी कारखाना का अध्यासी, अपने द्वारा अंतरित किये गये, विक्रय किये गये या आपूर्ति किये गये शीरे पर, अनधिक पन्द्रह रुपये प्रति कुन्तल की ऐसी दर, जैसा कि राज्य सरकार समय—समय पर अधिसूचित करे, पर प्रशासनिक प्रभारों का विहित रीति से राज्य सरकार को भुगतान करने के लिये दायी होगा। उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपराध प्रशमित करने की शक्ति नियंत्रक में निहित होती है।

राज्य के आबकारी राजस्व के हित में तथा प्रक्रियागत सुगमता के प्रयोजन से चीनी कारखाने के अध्यासी द्वारा अंतरित किये गये, विक्रय किये गये या आपूर्ति किये गये शीरे पर ऐसी दर, जैसा कि राज्य सरकार समय—समय पर अवधारित करे, पर प्रशासनिक प्रभार अवधारित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त करने, और नियंत्रक तथा साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपराधों हेतु यथा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अपराध प्रशमित करने की शक्ति प्रतिनिधानित करने का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की पूर्वोक्त धाराओं में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 452(2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-14-21

Dated Lucknow, March 10, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 10, 2021. The Aabkaari Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN)

ADHINIYAM, 2021

(U.P. Act no. 13 of 2021)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.

(2) The provision of section 3 of this Act shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette* and the remaining provisions shall be deemed to have come into force with effect from Novermber 01, 2020.

Amendment of Section 8 of U.P. Act no. 24 of 1964

2. In section 8 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"The occupier of a sugar factory shall be liable to pay to State Government, in the manner prescribed, administrative charges at such rate, as the State Government may from time to time determine, on the molasses transferred, sold or supplied by him"

Amendment of section 16

3. In section 16 of the principal Act, for the word "Controller", the words "Controller or any other officer authorized for specific offences by the State Government" shall be *substituted.*

————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (Uttar Pradesh Act no. 24 of 1964) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for the control, storage, gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof.

Sub-section (4) of section 8 of the said act, provides that the occupier of a sugar factory shall be liable to pay to the State Government, in the manner prescribed, administrative charges at such rate, not exceeding fifteen rupees per quintal as the State Government may from time to time notify, on the molasses transferred, sold or supplied by him. Under section 16 of the said Act, power to compound offences lies with the Controller.

In the interest of the State excise revenue and for the purpose of procedural ease, it has been decided to amend the aforesaid sections of the said Act to confer the State Government with the power of determining the administrative charges at such rate as it may from time to time determine on the molasses transferred, sold or supplied by the occupier of the sugar factory; and to provide for delegation of the power of compounding offences to the Controller as well as any other the officer as authorized for specific offences by the State Government.

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Vidheyak, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 789 राजपत्र–2021–(1676)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 268 सा0 विधायी–2021–(1677)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

789 RPH 4e Adhiniyam folder vidhai 2021